



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर (कैम्प भोपाल)

22

भू.रा.निगरानी/पी.बी.आर./2018/भोपाल

निगरानी-3980/2018/भोपाल/भू.रा

क्षत्रिय ग्रामीण राजपूत समाज उत्थान संघ
द्वारा पूर्व अध्यक्ष - विशाल सिंह सिसोदिया
आ. श्री बलदेव सिंह सिसोदिया, निवासी -
अवधपुरी, भोपाल

..... निगरानीकर्ता

विरुद्ध

01. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल
02. महेन्द्र सिंह आ० गनपत सिंह सिसोदिया
03. राजेन्द्र सिंह आ० गनपत सिंह सिसोदिया
दोनों ग्राम पलासी, पोस्ट मोतीलाल नगर,
न्यू जेल रोड, भोपाल

..... उत्तरदाता/शिकायतकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता, 1959

महोदय जी,

निगरानीकर्ता ने माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी न्यायालय अनुविभागागीय अधिकारी नजूल (बैरागढ़), तहसील हुजूर, जिला भोपाल के प्रकरण क्र. 16/अपील/2017-18 (क्षत्रिय ग्रामीण राजपूत समाज उत्थान संघ विरुद्ध म०प्र० शासन एवं 02 अन्य) में पारित आदेश दिनांक 29.05.2018 से दुःखी एवं परिवेदित होकर ठोस तथ्यों एवं वैधानिक आधारों पर समय सीमा में सादर प्रस्तुत है।

(Handwritten signature)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3980 / 2018 / भोपाल / भू0रा0 [क्षत्रिय ग्रामीण राजपूत/शामन]

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|----------------|--|--|
| 2-7-18 | <p>आवेदक अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चौहान द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी नजूल (बैरागढ़) तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-5-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व निरीक्षक के प्रतिपरीक्षण हेतु आवेदक को पर्याप्त अवसर उपलब्ध था, किन्तु आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक का प्रतिपरीक्षण नहीं कराया गया है इसलिये आवेदक का संहिता की धारा 32 एवं सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आवेदन को अस्वीकार किया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p> | <p>अध्यक्ष</p> |

2/7/18